



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

एनडीपीएस एक्ट के आरोपी सोनू उर्फ शैलेन्द्र को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 04 माह के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त- सोनू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0- 457/14 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 27.09.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज/एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ शैलेन्द्र को दोषी पाते हुए **01 वर्ष 04 माह के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 27.09.2023

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमचा मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा 0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 01 जिला बदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से 01 अवैध तमचा मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली हाजा पर मु0अ0सं0 236/23 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजीव पुत्र कालूराम निवासी ग्राम रन्छाड थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध तमचा मय 02 जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 376/21 धारा 304/394 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 377/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्रपाल सिंह थाना बिनौल जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री राम अवतार सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 109 नरेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-का0 343 पुरुषोत्तम थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5- का0 023 अजयपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 27.09.2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

वसीम पुत्र जुल्फिकार निवासी मौहल्ला



शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2.का024 तरुण कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-27.09.2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तरुण पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत हाल निवासी मधुबन कालोनी बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 399/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 96 संजय पूनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 1003 उपदेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 27.09.2023

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी अभिगण का नाम व पता:-

पवन पुत्र दयानन्द त्यागी निवासी ग्राम चौबली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उनि श्री बृक्षपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-का 953 अंकुल थाना छपरौली जनपद बागपत ।